

भारत का राजपत्र

The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2007/फाल्गुन 23, 1928

No. 60]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2007/PHALGUNA 23, 1928

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2007

सं. प्रल-7/25(5)/2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का और इस नियमित सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्ण प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण और शर्तें) विनियम, 2004, जिसे इसमें इसके पश्चात्, "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2007 है।

(2) ये विनियम 1-4-2007 से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 16 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"16. प्रचालन के संविधान.—प्रचालन के संविधान जो नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित को लागू होंगे—

(i) पूर्ण क्षमता (नियत) प्रभारों की वसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता—

(क) नीचे खण्ड (ख) के अधीन आने वाले स्टेशनों के सिवाय सभी ताप ऊर्जा
उत्पादन केन्द्र — 80 %

(ख) नवेली रिग्नाइट कारपोरेशन लि. के ताप ऊर्जा — 75 %

उत्पादन केन्द्र (टी पी एस-I, टी पी एस-II, प्रक्रम 1 और 2 और टी पी एस-I
विस्तारण) और एन टी पी सी लि. के तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र

टिप्पणी :

लक्ष्य उपलब्धता के सार के नीचे की क्षमता (नियत) प्रभारों की वसूली आनुषासिक आधार पर की जाएगी। शून्य उपलब्धता पर, कोई भी क्षमता प्रभार संदेह नहीं होगा।

(ii) प्रोत्साहन के लिए लक्ष्य संबंध भार कारक—

(क) नीचे खण्ड (ख) के अधीन आने वाले केन्द्रों के सिवाय सभी ताप उत्पादन केन्द्र — 80 %

(ख) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र (टी पी एस-I, टी पी एस-II, प्रक्रम 1 और 2 विस्तारण) तथा ऐन टी पी सी लि. के तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र – 75 %

(iii) सकल केन्द्र हीट दर—

(क) नीचे खण्ड (ख) और (ग) में दिए गए केन्द्रों के सिवाय कोयला आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

स्थिरीकरण अवधि के दौरान	200/210/250 मेगावाट सैट	500 मेगावाट और उससे ऊपर के सैट
पश्चात्वर्ती अवधि	2600 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा	2550 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
	2500 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा	2450 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

टिप्पण 1 :

500 मेगावाट और उससे ऊपर के यूनिटों के संबंध में, जहां बायलर फीड पाय्य विद्युत से प्रचालित किए जाते हैं वहां कुल उत्पादन ताप दर उपरोक्त उपदर्शित उत्पादन ताप दर, से 40 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा कम होगी।

टिप्पण 2 :

ऐसे उत्पादन केन्द्रों के लिए, जिनके पास 200/210/250 मेगावाट सैट और 500 मेगावाट और उससे ऊपर के सैट का संयोजन है, मानकीय सकल उत्पादन केन्द्र ताप दर, भारित औसत उत्पादन केन्द्र ताप दर होगी।

(ख) तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र	3100 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
(ग) टांडा ताप ऊर्जा केन्द्र	2850 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
(घ) लिग्नाइट से चलने वाले तापीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र	
(1) कोयला आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के लिए ऊपर खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट सकल उत्पादन केन्द्र ताप को दरें नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टीपीएस-I और टीपीएस-II (प्रक्रम 1 और 2) के सिवाय नीचे दिए गए गुणककारकों का उपयोग करते हुए, संशोधित की जाएंगी :—	
(i) 50 प्रतिशत आद्रता वाली लिग्नाइट के लिए : 1.10 का गुणनकारक;	
(ii) 40 प्रतिशत आद्रता वाली लिग्नाइट के लिए : 1.07 का गुणनकारक;	
(iii) 30 प्रतिशत आद्रता वाली लिग्नाइट के लिए : 1.04 का गुणनकारक ;	
(iv) आद्रता अंतर्वस्तु के अन्य मूल्यों के लिए गुणककारक उपरोक्त उप-खंड (i) से खंड (iii) में दी गई अपनी-अपनी रेंज के लिए गुणककारक के रेटेड मूल्यों पर निर्भर रहते हुए, 30-40 और 40-50 की बीच की आद्रता अंतर्वस्तु हेतु अनुपात में विधिरित की जाएगी।	
(2) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टीपीएस-I और टीपीएस-II :	
टीपीएस-I	3900 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
टीपीएस-II	2850 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

(ङ) गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन ऊर्जा उत्पादन केन्द्र—

(i) एनटीपीसी लि. के स्वामित्वाधीन विद्यमान उत्पादन केन्द्र

उत्पादन केन्द्र का नाम	संयुक्त आवर्तन (साइकिल) (कि. कैलोरी/किलोवाट)	खुला आवर्तन (कि. कैलोरी/किलोवाट)
गंधार जी पी एस	2000	2900
कवास जी पी एस	2075	3010
अन्ता जी पी एस	2075	3010
दादरी जी पी एस	2075	3010
औरेया जी पी एस	2100	3045
फरीदाबाद जी पी एस	2000	2900
कायमकुलम जी पी एस	2000	2900

(ii) 1-4-2004 को या उसके पश्चात् कार्बनिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केन्द्र :

उत्पादन श्रेणी मशीन	इंटर/इंसी/ई2 श्रेणी मशीन
खुला आवर्तन 2685 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा	2830 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
संयुक्त आवर्तन 1850 कि. कैलोरी/ किलोवाट घंटा	1950 कि. कैलोरी/ किलोवाट घंटा

(iii) लघु गैस टर्बाइन कर्जा उत्पादन केन्द्र :

(क) असम गैस आधारित कर्जा केन्द्र, कैथलगुड़ी :

खुला आवर्तन	— 3225 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
संयुक्त आवर्तन	— 2250 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

(ख) अगरतला गैस आधारित कर्जा केन्द्र, रामचन्द्रनगर

खुला आवर्तन	— 3580 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
-------------	--------------------------------

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को छोड़कर

प्राकृतिक गैस सहित

खुला आवर्तन	— 3125 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
संयुक्त आवर्तन	— 2030 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

द्रव इंधन सहित

1.02 × 3125 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
1.02 × 2030 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

(iv) गौण इंधन तेल खपत

(क) कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र :

(i) नीचे खण्ड (ii) के अधीन आने वाले केन्द्रों के सिवाय सभी कोयला आधारित ताप कर्जा उत्पादन केन्द्र

स्थिरीकरण अवधि के दौरान

4.5 मि.ली./किलोवाट घंटा

प्रशासनी अवधि

2.0 मि.ली./किलोवाट घंटा

3.5 मि.ली./किलोवाट घंटा

(ii) तलचर ताप कर्जा केन्द्र

स्थिरीकरण अवधि के दौरान

3.0 मि.ली./किलोवाट घंटा

प्रशासनी अवधि

3.0 मि.ली./किलोवाट घंटा

(v) अतिरिक्त कर्जा खपत

(क) कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र :

शीतलन (कूलिंग)

शीतलन (कूलिंग)

टावर सहित

टावर के बिना

(i) 200 मेगावाट शूखला

9.0%

8.5%

(ii) 500 मेगावाट शूखला

7.5%

7.0%

पाप चालित बायसर फोर्ड पम्प

9.0%

8.5%

विद्युत चालित बायसर फोर्ड पम्प

11.0%

(iii) तलचर ताप कर्जा केन्द्र

12.0%

(ख) गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र :

(i) संयुक्त आवर्तन

3.0%

(ii) खुला आवर्तन

1.0%

(ग) लिम्नाइट आधारित ताप कर्जा उत्पादन केन्द्र :

(i) नवेली लिम्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टीपीएस-I और टीपीएस-II (प्रक्रम I और II) के सिवाय सभी उत्पादन केन्द्र :

उपरोक्त (v)(क) (i) और (ii) पर कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र के सहायक ऊर्जा खपत संनियम का प्रतिशतता बिन्दु अतिरिक्त ऊर्जा खपत संनियम से अधिक 0.5 होगा।

(ii) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टीपीएस-I और टीपीएस-II प्रक्रम I और II :

पी टी एस-I	12.0%
टी पी एस-II	10.0%

टिप्पण :

स्थिरीकरण अवधि के दौरान, मानकीय अतिरिक्त खपत ऊपर खंड (क), (ख) और (ग) में उपदर्शित संनियमों से अधिक 0.5% तक मानी जाएगी।

(vi) स्थिरीकरण अवधि

यूनिट के संबंध में उस यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रारंभ होने वाली स्थिरीकरण अवधि निम्नानुसार मानी जाएगी। अर्थात् :—

(क) कोयला आधारित और लिग्नाइट चालित उत्पादन केन्द्र	180 दिन
(ख) गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र	90 दिन

टिप्पण :

स्थिरीकरण अवधि और स्थिरीकरण अवधि के दौरान लागू शिथिल संनियम 1-4-2006 से लागू न होंगे।"

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन III/IV/150/2006/असा.]

पाद टिप्पण :

मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4 में तारीख 29-3-2004 को अधिसूचित किए गए थे और समय समय पर निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :

(i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 9-9-2004 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2004।

(ii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 25-8-2005 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2005।

(iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 8-6-2006 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2006।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2007

No. L-7/25(5)/2003-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to further amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2004, hereinafter referred to as "the principal regulations", namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Amendment) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall come into force on 1-4-2007.

2. Amendment of Regulation 16.—Regulation 16 of the principal regulations shall be substituted as under:

"16. **Norms of Operation:** The norms of operation as given hereunder shall apply:

(i) Target availability for recovery of full capacity (fixed) charges

- (a) All thermal power generating stations, except those covered under clause (b) below - 80%
 (b) Thermal power generating stations of Neyveli Lignite Corporation Ltd. (TPS-I, TPS-II, Stage I & II and TPS I Expansion) and Talcher Thermal Power Station of National Thermal Power Corporation Ltd. - 75%

Note : Recovery of capacity (fixed) charges below the level of target availability shall be on *pro rata* basis. At zero availability, no capacity charges shall be payable.

(ii) Target Plant Load Factor for Incentive

- (a) All thermal power generating stations, except those covered under clause (b) below - 80%
 (b) Thermal power generating stations of Neyveli Lignite Corporation Ltd. (TPS-I, TPS-II, Stage I & II and TPS I Expansion) and Talcher Thermal Power Station of National Thermal Power Corporation Ltd. - 75%

(iii) Gross Station Heat Rate

(a) Coal-based thermal power generating stations, other than those covered under clauses (b) and (c) below	200/210/250 MW sets	500 MW and above sets
During stabilization period	2600 KCal/kWh	2550 KCal/kWh
Subsequent period	2500 KCal/kWh	2450 KCal/kWh

Note 1

In respect of 500 MW and above units where the boiler feed pumps are electrically operated, the gross station heat rate shall be 40 kCal/kWh lower than the station heat rate indicated above.

Note 2

For generating stations having combination of 200/210/250 MW sets and 500 MW and above sets, the normative gross station heat rate shall be the weighted average station heat rate.

(b) Talcher Thermal Power Station	3100 kCal/kWh	
(c) Tanda Thermal Power Station	2850 kCal/kWh	
(d) Lignite-fired Thermal Power generating Stations		
(1) For lignite-fired generating stations except for TPS-I and TPS-II (Stage I & II) of Neyveli Lignite Corporation Ltd., the gross station heat rates specified under clause (a) above for coal-based thermal power generating stations shall be corrected, using multiplying factors as given below:		
(i) For lignite having 50% moisture: Multiplying factor of 1.10		
(ii) For lignite having 40% moisture: Multiplying factor of 1.07		
(iii) For lignite having 30% moisture: Multiplying factor of 1.04		
(iv) For other values of moisture content, multiplying factor shall be pro-rated for moisture content between 30-40 and 40-50 depending upon the rated values of multiplying factor for the respective range given under sub-clauses (i) to (iii) above.		
(2) TPS-I, and TPS-II (Stage I & II) of Neyveli Lignite Corporation Ltd.		
TPS-I	3900 kCal/kWh	
TPS-II	2850 kCal/kWh	
(e) Gas Turbine/Combined Cycle generating stations		
(i) Existing generating stations owned by National Thermal Power Corporation Ltd.		
Name of Generating station	Combined cycle (kCal/kWh)	Open cycle (kCal/kWh)
Gandhar GPS	2000	2900
Kawas GPS	2075	3010
Anta GPS	2075	3010
Dadri GPS	2075	3010
Auraiya GPS	2100	3045
Fardabad GPS	2000	2900
Kayamkulam GPS	2000	2900

(ii) Generating stations declared under commercial operation on or after 1-4-2004

	Advanced Class Machines	F/EA/EC/E2 Class Machines
Open cycle	2685 kCal/kWh	2830 kCal/kWh
Combined cycle	1850 kCal/kWh	1950 kCal/kWh

(iii) Small Gas Turbine Power Generating Stations :

(a) Assam Gas Based Power Station, Kathalguri ;

Open Cycle	—	3225 kCal/kWh
Combined Cycle	—	2250 kCal/kWh

(b) Agartala Gas Based Power Station, Ramachandranagar : Open Cycle

(c) Other than (a) and (b) above;

	With Natural Gas	With Liquid Fuel
Open Cycle	3125 kCal/kWh	1.02 x 3125 kCal/kWh
Combined Cycle	2030 kCal/kWh	1.02 x 2030 kCal/kWh

(iv) Secondary Fuel Oil Consumption

(a) Coal-based generating stations :

(ii) All coal-based thermal power generating stations except those covered under sub-clause (ii) below :

During Stabilization period	Subsequent period
4.5 ml/kWh	2.0 ml/kWh
Talcher Thermal Power Station	3.5 ml/kWh

(b) Lignite-fired generating stations :

(v) Auxiliary Energy Consumption

(a) Coal-based generating stations :

	With cooling tower	Without cooling tower
(i) 200 MW series	9.0%	8.5%
(ii) 500 MW series Steam driven boiler feed pumps	7.5%	7.0%
Electrically driven boiler feed pumps	9.0%	8.5%
(iii) Talcher Thermal Power Station	11.0%	
(iv) Tanda Thermal Power Station	12.0%	

(b) Gas Turbine/Combined Cycle generating stations;

(i) Combined cycle 3.0%
(ii) Open cycle 1.0%

(c) Lignite-fired thermal power generating stations;

(i) All generating stations, except TPS-I and TPS-II (Stage I & II) of Neyveli Lignite Corporation Ltd.: The auxiliary energy consumption norms shall be 0.5 percentage point more than the above auxiliary energy consumption norms of coal-based generating stations at (v) (a) (i) & (ii) above.

(ii) TPS-I & TPS-II Stage-I & II of Neyveli Lignite Corporation Ltd.;

TPS-I 12.0%
TPS-II 10.0%

Note :

- During stabilization period, normative auxiliary consumption shall be reckoned at 0.5 percentage point more than the norms indicated at (a), (b) and (c) above.

(vi) Stabilization period

In relation to a unit, stabilization period shall be reckoned commencing from the date of commercial operation of that unit as follows, namely :

(a) Coal-based and lignite-fired generating stations	180 days
(b) Gas turbine/combined cycle generating stations	90 days

Note :

The stabilization period and relaxed norms applicable during the stabilization period shall cease to apply from 1-4-2006.

K. S. DHINGRA, Chief (Law)
[ADVT. III/IV/150/2006/Exty.]

Note :

The principal regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) Part-III, Section 4 on 29-3-2004 and were amended from time to time as under :

- Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2004, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 9-9-2004.
- Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2005, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 25-8-2005.
- Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2006, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 8-6-2006.